रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10112022-240161
CG-MH-E-10112022-240161

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2022/कार्तिक 18, 1944
No. 552] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2022/KARTIKA 18, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 9 नवम्बर, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/101.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 तथा धारा 12 के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: —

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम 1 जनवरी, 2023 को लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में, —

(1) विनियम 14 में, उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"(5क) कोई भी अवसंरचना निवेश न्यास अध्याय - VIक के तहत कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा।"

(2) विनियम 17 में,

(क) उप-विनियम (1) में, खंड (ङक) हट जाएगा;

(ख) उप-विनियम (6) में, परंतुक हट जाएगा;

(3) विनियम 22 में,

(क) उप-विनियम (5ख) हट जाएगा;

(4) विनियम 26क में,

(क) उप-विनियम (1) में, शब्द और चिह्न "जो इन विनियमों के अनुसार निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर यूनिटें जारी (निर्गमित) करने का प्रस्ताव करता हो या" हट जाएँगे;

(ख) उप-विनियम (2) हट जाएगा;

(ग) उप-विनियम (3) में, शब्द और चिह्न "जो इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार यूनिटें जारी (निर्गमित) कर रहा हो /" हट जाएँगे;

(5) विनियम 26ख में, उप-विनियम (1) हट जाएगा;

(6) विनियम 26ग में, उप-विनियम (1) हट जाएगा;

(7) विनियम 26घ में, उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) हट जाएगा;

(8) विनियम 26च में,

(क) विनियम 26च का प्रावधान उप-विनियम (1) के रूप में संख्यांकित हो जाएगा;

(ख) उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"(2) इन विनियमों में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड उन अवसंरचना निवेश न्यासों को, इन विनियमों से, कोई छूट प्रदान कर सकेगा जिन्होंने इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार यूनिटें जारी की हों, ताकि ऐसे अवसंरचना निवेश न्यासों की यूनिटों को उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाना आसान हो सके जिसके राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल हों।"

माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./375/2022-23]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2014-15/10/1577 द्वारा, 26 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, तत्पश्चात्—

(i) 30 नवम्बर, 2016 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/021, द्वारा

(ii) 15 दिसम्बर, 2017 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/024, द्वारा

(iii) 10 अप्रैल, 2018 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2018 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/07, द्वारा

(iv) 22 अप्रैल, 2019 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2019 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/10, द्वारा

(v) 2 मार्च, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/05, द्वारा

(vi) 17 अप्रैल 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(vii) 16 जून, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/15, द्वारा

(viii) 30 जुलाई, 2021 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/27, द्वारा

(ix) 31 अगस्त, 2021 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

(x) 4 मई, 2022 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/ एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/83, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th November, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA INFRASTRUCTURE INVESTMENT TRUSTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/101.—In exercise of the powers conferred under section 30 read with section 11 and section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on January 1, 2023.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, ─

(1) in regulation 14, after sub-regulation (5), the following shall be inserted, namely –

"*(5A) No InvIT shall undertake any activity under Chapter VIA.*"

(2) in regulation 17,

a. in sub-regulation (1), clause (ea) shall be omitted;

b. under sub-regulation (6), the proviso shall be omitted;

(3) in regulation 22,

a. sub-regulation (5B) shall be omitted;

(4) in regulation 26A,

a. in sub-regulation (1), the words "*proposes to issue units or*" shall be omitted;

b. sub-regulation (2) shall be omitted;

c. in sub-regulation (3), the words and symbol "*issuing units/*" shall be omitted;

(5) in regulation 26B, sub-regulation (1) shall be omitted;

(6) in regulation 26C, sub-regulation (1) shall be omitted;

(7) in regulation 26D, sub-regulation (1) and sub-regulation (2) shall be omitted;

(8) in regulation 26F,

(a) the provision of regulation 26F shall be numbered as sub-regulation (1);

(b) after sub-regulation (1), the following shall be inserted, namely —

"(2) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Board may grant any exemptions to the InvITs which have issued units in terms of the provisions of this Chapter, from these regulations, for the purpose of facilitating listing the units of such InvITs on a recognized stock exchange having nationwide trading terminals."

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./375/2022-23]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was published in the Gazette of India on September 26, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/10/1577.
2. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was subsequently amended by the –

(i) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2016, vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/021, with effect from November 30, 2016.

(ii) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2017, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/024, with effect from December 15, 2017.

(iii) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2018, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/07, with effect from April 10, 2018.

(iv) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2019, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/10, with effect from April 22, 2019.

(v) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/05, with effect from March 02, 2020.

(vi) Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10, with effect from April 17, 2020.

(vii) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/15, with effect from June 16, 2020.

(viii) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/27, with effect from July 30, 2021.

(ix) Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30, with effect from August 31, 2021.

(x) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/83, with effect from May 4, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA